(64)

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रेशम विकास विभाग,
प्रेमनगर देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–2 देहरादूनः दिनांक 9 फरवरी, 2012

विषयः–वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर की योजनाओं में प्राविधानित बटज के सापेक्ष अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2102/रेशम/तक0अनु0/बजट/11–12 दिनांक 19 जनवरी, 2012 एवं प्रमुख सचिव वित्त के पत्र संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या–29 के आयोजनागत पक्ष की राज्य सैक्टर की योजनाओं हेतु कुल प्राविधानित **₹18675** हजार के सापेक्ष अवशेष धनराशि **₹4875** हजार में से **₹675** हजार **(₹छःलाख पिचहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि संलग्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निर्वतन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तानुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के लिये ही किया जायेगा एवं धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों के किया जायेगा। जैसा कि वित्त अनुभाग–1 के आदेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च,2011 में उल्लिखित है।

3– निर्वतन पर रखी गयी धनराशि को व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक–31 मार्च,2011 द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

4– किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1(लेखा नियम) आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा,तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय सूचना प्रौद्योगिकी (I.T.) विभाग के शासनादेशों/दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6– व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

7– व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0–13 पर प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय। धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किस्तों में किया जायेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि धनराशि अनावशक रूप में बैंकों मे पार्किंग के रूप मे न रखी जाय।

योजनावार स्वीकृत धनराशि का व्यय सम्बन्धित योजना के संगत दिशा–निदेशा के अनुरूप ही की जायेगी। किसी भी दशा में संगत दिशा–निर्देशों से इतर कार्यवाही नहीं की जायेगी।

9– निर्वतन पर रखी गयी धनराशि में से उक्त सदर्भित आदेश दिनांक 31.3.2011 में उल्लिखित धनराशि विभागीय आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय जिससे फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न होने पाये। प्रस्तावित परिव्यय को ध्यान मे रखते हुए धनराशि निर्वतन पर रखी जा रही है, यदि वार्षिक योजना पर अनुमोदन के उपरान्त परिव्यय में संशोधन होता है तो तद्नुसार ही व्यय मान्य होगा।

10– निर्वतन पर रखी गयी धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में वित्त अनुभाग–1 उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011, में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनिर्वाय रूप से पालन किया जाना होगा।

11– उत्तराखण्ड को–आपरेटिव रेशम फेडरेशन द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि सीधे फेडरेशन के पक्ष में वास्तविक व्यवस्थानुसार उनकी मॉग के आधार पर यथाप्रकिया अविलम्ब उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

12– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–2401–फसल कृषि कर्म–00–आयोजनागत–119–बागवानी एवं सब्जियों की फसलें–07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास के अन्तर्गत **संलग्न विवरण** में अंकित योजनाओं एवं उनकी सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)

प्रमुख सचिव।

संख्या–71 (1)/XVI-2/11/7(5)/2011,तददिनांक:

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिग माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी रेशम कोआपरेटिव फैडरेशन देहरादून।
6. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–4,उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)

उप सचिव।

,नादेश संख्या– 71/XVI-2/11/7(5)/2011 दिनांकः 9 फरवरी, 2012 का संलग्नक

(धनराशि हजार ₹में)

क0 सं0	अनुदान सं0–29–लेखाशीर्षक– 2401–फसल कृषि कर्म–आयोजनागत 119–बागवानी और सब्जियों की फसलें 07–शहतूत की खेती एवं रेशम विकास	वर्ष 2011–12 में प्राविधानित बजट	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	स्वीकृत धनराशि
1	0703–सहकारी समितियों को रेशम विकास हेतु कार्यशील पूंजी			
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1000	500	200
2	0709–वृक्षारोपण विकास योजना			
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	50	25	25
3	0710–रेशम वस्त्र विकास			
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	800	400	200
4	0712–उत्तराखण्ड सहकारी रेशम फेडरेशन का सुदढीकरण			
	20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	500	250	250
	महायोग :–	2350	1175	675

(₹ छः लाख पिचहत्तर हजार मात्र)

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।